डायमंड लैब में स्तन व फेफड़े के कैंसर की महंगी जांचें निःशुल्क हो सकेगी : मेघवाल

बीकानेर, (कासं)। केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने बुधवार को आचार्य तुलसी कैंसर रिसर्च सेंटर परिसर में प्रदेश की दूसरी डायमंड्स लैब का उद्घाटन किया।

केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित डायमंड्स योजना के तहत स्थापित इस लैब में स्तन और फेफड़े के कैंसर में होने वाली पैथोलॉजी की इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री जांच और मॉलिक्यूलर स्तर की महंगी जांचें निःशुल्क हो सकेगी। इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि बीकानेर का आचार्य तुलसी कैंसर रिसर्च सेंटर समूचे उत्तर भारत का प्रतिष्ठित केन्द्र है। यहां राजस्थान सहित अन्य राज्यों के कैंसर के मरीज इलाज के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि यहां की ओपीडी संभवतया टाटा कैंसर हॉस्पिटल के बाद सर्वाधिक है।

ऐसे में यहां सभी चरणबद्ध तरीके से सभी अत्याधुनिक मशीनें उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जिससे राजस्थान सहित अन्य प्रदेशों के मरीजों को भी कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का बेहतर इलाज मिल सके। मेघवाल ने बताया कि इस लैब के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 5 करोड़ रूपए स्वीकृत किए गए।

केन्द्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने आचार्य तुलसी कैंसर रिसर्च सेंटर बीकानेर में प्रदेश की दूसरी डायमंड्स लैब का उद्घाटन किया।

इससे जुड़ी मशीनरी आ चुकी है तथा कैंसर जैसे रोग की गंभीरता को देखते हुए इस लैब के माध्यम से अब तक 111 मरीजों की जांचें भी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि आगामी चरणों में भी यहां की सुविधाओं को और बढ़ाया जायेगा। इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से नियमित संपर्क रखा जा रहा है।

आचार्य तुलसी कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र की निदेशक डॉ. नीति शर्मा ने केंद्रीय मंत्री मेघवाल को लैब की कार्यप्रणाली और अब तक प्राप्त रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी। सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सुरेन्द्र वर्मा ने कहा कि कैंसर जैसे रोग के समयबद्ध उपचार में सटीक जांच की महत्वपूर्ण भूमिका है। डायमंड्स लैब की इन मशीनों से कैंसर रोगियों को राहत मिलेगी।

पीबीएम अधीक्षक डॉ. बी. सी. घीया ने कहा कि वर्तमान में लंग्स और स्तन कैंसर के मरीजों के लिए ये मशीनें वरदान साबित होंगी। इनके माध्यम से मरीज का एडवांस मॉलिक्यूलर टेस्ट हो सकेगा, जिसके माध्यम से कम से कम साइड इफेक्ट में मरीज का बेहतर इलाज होगा। मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. सुरेन्द्र बेनीवाल ने बताया कि उन्होंने बताया कि निजी अस्पतालों में ये जांचें बहुत

- **बीकानेर के आचार्य तुलसी कैंसर रिसर्च सेंटर में ओपीडी संभवतया टाटा कैंसर हॉस्पिटल के बाद सर्वाधिक है**
- **राजस्थान सहित उत्तर भारत के कैंसर मरीजों को राहत मिलेगी**

महंगी होती हैं। जो कि इस केन्द्र में निःशुल्क होंगी। लैब प्रभारी डॉ. सुनीता कुलहरि ने बताया कि इस लैब का लाभ सेंटर में उपचाररत राजस्थान सहित अन्य प्रदेशों के मरीजों को भी निःशुल्क मिलेगा।

इस दौरान विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के चेयरमैन रामगोपाल सुथार, डॉ. सत्यप्रकाश आचार्य, अशोक प्रजापत, डॉ. संदीप गुप्ता, डॉ. शंकर लाल जाखड़, डॉ. राजेश सिंवर, डॉ. डी.पी. सोनी, डायमंड लैब रिसर्च साइंटिस्ट डॉ. विनय मेहरा, डॉ. चित्रलेखा सैनी, डॉ. जितेंद्र आचार्य सहित अन्य चिकित्सक मौजूद थे।

बालकनी से गिरी नर्स की 24 दिन बाद मौत

नोखा, (कासं)। मकान की दूसरी मंजिल से गिरकर गंभीर रूप से घायल हुई नर्स पूजा वर्मा की उपचार के दौरान मौत हो गई।

नागौर के गोगेलाव निवासी पूजा वर्मा 24 जनवरी की रात अपने किराये के मकान की बालकनी से नीचे गिर गई थी। वह पिछले एक साल से नोखा में रह रही थी और जिला अस्पताल नोखा में नर्सिंग स्टाफ के रूप में कार्यरत थी। परिजनों ने बताया कि घटना वाली रात पूजा के पति मुकेश भाटी बाजार गए हुए थे। पूजा बालकनी में खड़ी थी। जबकि उनके तीनों बच्चे घर के अंदर टीवी देख रहे थे। अचानक संतुलन बिगड़ने से वह सड़क पर गिर गई। आसपास के लोगों की मदद से उन्हें तुरंत जिला अस्पताल नोखा पहुंचाया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में बीकानेर के पीबीएम अस्पताल रेफर किया गया।

पूजा को गर्दन के नीचे करीब 20 फ्रैक्चर हुए थे। साथ ही उनकी पसलियों, दोनों हाथों, एक पैर और घुटने में भी गंभीर चोटें आई थी। हालत नाजुक होने के कारण उसे बाद में जोधपुर रेफर किया गया जहां एम्स जोधपुर में उनका इलाज चल रहा था।

उपचार के दौरान देर रात उनका निधन हो गया। घटना की सूचना मिलते ही जिला अस्पताल नोखा सहित चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों में शोक छा गया।

सार-समाचार

रैली से मोटे अनाज खाने का संदेश

ईट राइट वॉकथॉन को मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ. सुरेन्द्र वर्मा तथा सीएमएचओ डॉ. पुखराज साध ने रवाना किया।

बीकानेर, (कासं)। संतुलित आहार एवं मिलेट्स के महत्व को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से बीकानेर में 'ईट राइट वॉकथॉन' का आयोजन किया गया। वॉकथॉन को सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर प्रांगण से प्राचार्य डॉ. सुरेंद्र कुमार वर्मा तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पुखराज साध द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वॉकथॉन में सात सौ से अधिक नर्सिंग विद्यार्थियों एवं आशा सहयोगिनियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतिभागियों ने 'ईट राइट' के संदेश के साथ संतुलित एवं पौष्टिक आहार अपनाने तथा मोटे अनाज (मिलेट्स) को दैनिक भोजन में शामिल करने का आव्हान किया। वॉकथॉन सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज से प्रारंभ होकर मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम, शास्त्रीनगर में संपन्न हुई जहां ईट राइट मिलेट्स मेले का आयोजन किया गया। मेले में मिलेट्स आधारित व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई गई तथा पोषण संबंधी जानकारी आमजन को दी गई। इस अवसर पर आरसीएचओ डॉ. भवानी शंकर गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रवण कुमार वर्मा, सुरेंद्र कुमार, भानुप्रताप सिंह गहलोत, राकेश गोदारा, आदि मौजूद रहे।

U/o 5 Rule 20CPC
Paper Publication
SUMMONS TO DEFENDANT
Process No: 24338
Date: 29/01/2026
Room No. 706
IN THE COURT OF 9th Jt CIVIL JUDGE SENIOR DIVISION., NAGPUR
Spl.C.S. No.783/2019 Fixed for : 23.2.26
Plaintiff : Superpack (A Division of Bajaj Steel Industries Ltd.)
-Versus-
Defendants : SLT Packers H-1-349,350 & Others
To,
1) SLT Packers H-1-349,350 R/o. Agro Block, Karni Industries Area, Bikaner, Rajasthan.
2) Nanda Jaira Partner of SLT Packers, C/o. SLT Packers H-1-349,350 Agro Block, Karni Industries Area, Bikaner, Rajasthan.
3) Nandkishor Jaiswal (Partner) of SLT Packers, C/o. SLT Packers H-1-349,350 Agro Block, Karni Industries Area, Bikaner, Rajasthan.
Whereas plaintiff has instituted a suit against you Suit For Recovery of Rs.55,67,890/- to appear in this Court in person or by a pleader duly instructed and able to answer all material questions relating to the suit, or who shall be accompanied by some person, able to answer all such questions on the Dt.23/02/2026 at 11.00 O'clock in the forenoon, to answer the claim and further you are hereby directed to file on that day (or within [30 days from the date of service of this summons) a written statement of your defence and to produce on the said day all documents in your possession or power upon which you base your defence or claim for set-off or counter-cslaim, and where you rely on any other document whether in your possession or power or not, as evidence in support of your defence or claim for set-off or counter-claim, you shall enter such documents in a list to be annexed to the written statement. Take notice that, in default of your appearance on the day before mentioned, the suit will be heard and determined in your absence.
Given under my hand and the seal of the Court this day of 29th Day of Jan, 2026.
Note - Copy of Plaint Attached.
Seal
By order of the Court
Asst. Supdt. Civil Judge Sr. Dn., Nagpur.

बीकानेर जिले में बजरी-क्ले व जिप्सम रॉयल्टी के ठेके नहीं हुए

बीकानेर,(कासं)। जिले में बजरी-क्ले और जिप्सम की रॉयल्टी वसूली के ठेके लेने में किसी भी फर्म ने रूचि नहीं ली है। खान एवं भूविज्ञान विभाग ने आरक्षित राशि बेतहाशा बढ़ाकर दोनों ठेकों के लिए निविदा जारी की थी जो नो बिड रही। बजरी-क्ले की आरक्षित राशि 10 प्रतिशत कम कर खान निदेशालय को दुबारा प्रस्ताव भेजे गए हैं।

बीकानेर जिले में बजरी-क्ले की रॉयल्टी वसूली का वर्तमान ठेका 1,64,59,37011 रूपए और जिप्सम का 75,01,48860 रूपए में चल रहा है। दोनों ठेकों की अवधि 31 मार्च को खत्म हो जायेगी और एक अप्रैल से नए ठेके करने हैं। इसके लिए खान एवं भूविज्ञान विभाग ने बजरी-क्ले की आरक्षित दर 1,81,05,30712 रूपए और जिप्सम की 1.06 अरब रूपए तय कर निविदा जारी की। दोनों ही रॉयल्टी ठेकों में किसी भी व्यवसायिक फर्म ने रूचि नहीं दिखाई। निविदा नो बिड रही।

इससे आरक्षित राशि 1,81,05,30712 रूपए से घटकर

- **ठेके लेने में किसी भी फर्म ने रूचि नहीं ली है। खान एवं भूविज्ञान विभाग ने आरक्षित राशि बेतहाशा बढ़ाकर दोनों ठेकों के लिए निविदा जारी की थी जो नो बिड रही**

1,62,94,77641 रूपए हो गई है। खान निदेशालय की ओर से बजरी-क्ले के लिए दुबारा बिड जारी की जायेगी। जिप्सम के ठेके के भी दुबारा प्रस्ताव तैयार किए जायेंगे। इसके लिए स्थानीय अधिकारी विचार-विमर्श कर रहे हैं और निदेशालय से मार्गदर्शन लेंगे।

जिप्सम की रॉयल्टी वसूली का ठेका एक अप्रैल से नहीं होगा, यह तय है। क्योंकि आरक्षित दर वर्तमान ठेके से 33.52 करोड़ बढ़ाकर 1.06 अरब कर दी गई है जो इतनी ज्यादा है कि बोली लगना मुश्किल है। बजरी-क्ले का ठेका होने की संभावना जताई जा रही है। जिप्सम की रॉयल्टी वसूली का नया ठेका एक अप्रैल से नहीं होगा। पिछली बार वर्ष 2024 में भी जिप्सम के ठेके की आरक्षित राशि बेतहाशा बढ़ाकर 111 करोड़ रूपए कर दी गई थी। जिससे सात बार निविदा नो बिड रही। आठवीं बार आरक्षित राशि 73.13 करोड़ रूपए होने पर ठेका हुआ। इस बार भी ऐसी ही आशंका जताई जा रही है।

खान महकमे ने विचार-विमर्श कर आरक्षित राशि 80 करोड़ रूपए के आसपास नहीं की तो सितम्बर तक ठेका नहीं होगा। अवैध खनन-निर्गमन बढ़ेगा और सरकार को 40 से 50 करोड़ रूपए तक का राजस्व नुकसान हो सकता है। बीकानेर जिले में जिप्सम की रॉयल्टी वसूली का नया ठेका एक अप्रैल से होना है। जिसके लिए निविदा जारी कर दी गई है। इस बार आरक्षित दर एक अरब 6 करोड़ 65 लाख 46 हजार 705 रुपए रखी गई है जो पिछली बार हुए रॉयल्टी ठेके की आरक्षित राशि से 33,52,37,845 रूपए ज्यादा है।

कार पर फर्जी नंबर प्लेट लगा घूमने वाला गिरफ्तार

नोखा, (कासं)। फर्जी नंबर प्लेट लगाकर चल रही गाड़ी को जब्त कर आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मामले को लेकर जैतसर निवासी शिव कुमार सींगड़ ने मामला दर्ज कराया था।

शिव कुमार सींगड़ ने बताया कि उन्होंने 3 फरवरी 2025 को श्रीगंगानगर से एक्सयूवी 400 ईवी खरीदी थी। गाड़ी खरीदने से पहले जानकारी के लिए बीकानेर महिंद्रा शोरूम से संपर्क किया था। शोरूम वालों ने उन्हें बीकानेर के एक व्यक्ति का नंबर दिया, जिसके पास पहले से महिंद्रा एक्सयूवी 400 ईवी थी। इसी दौरान उनका नंबर आरोपी तक पहुंच गया।

गाड़ी खरीदने के लगभग तीन-चार महीने बाद आरोपी ने शिव कुमार के भाई अनिल को फोन कर गाड़ी के बारे में पूछा। अनिल ने बताया कि उन्होंने गाड़ी गंगानगर से खरीदी है और आरोपी को गाड़ी की तस्वीरें भी भेजी। कुछ दिनों बाद, जम्भा पुलिस स्टेशन से शिव कुमार को फोन आया कि उनकी गाड़ी ने एक नाका तोड़ा है। शिव कुमार ने अपनी गाड़ी घर पर होने

- **मुकाम मेले से कार जब्त, नोखा पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार किया**

की बात कही, जिससे उन्हें अपनी नंबर प्लेट के दुरूपयोग का शक हुआ।

पुलिस ने नाकाबंदी तोड़ने की घटना सुनने के बाद परिवादी शिव कुमार ने अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट के दुरूपयोग के बारे में अपने स्तर पर जानकारी जुटानी शुरू की। वह मुकाम मेले में थे, जहां मंदिर के पास उन्होंने अपनी गाड़ी के नंबर जैसी एक अन्य गाड़ी देखी। पास जाकर देखने पर उन्हें अपनी गाड़ी का हूबहू नंबर मिला। जिसके बाद उन्होंने तुरंत मुकाम पुलिस चौकी में इसकी सूचना दी। पुलिस द्वारा जांच करने पर पता चला कि रामसर निवासी (हाल गंगाशहर) रविन्द्र सियाग ने अपनी एसयूवी 400 ईवी पर शिव कुमार की गाड़ी की नंबर प्लेट लगा रखी थी। शिवकुमार सींगड़ की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है।

खाद्य सुरक्षा में 75 लाख नए नाम जोड़े

बीकानेर, (कासं) मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा योजना में प्रदेश के 75 लाख नए लाभार्थियों के नाम जोड़े गए हैं।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने विधानसभा में कहा कि इससे जरूरतमंद परिवारों को राहत मिली है। उन्होंने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान पात्र व्यक्तियों के नाम भी नहीं जोड़े गए थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में नए लाभार्थियों को जोड़ने के लिए 26 जनवरी 2025 से पोर्टल खोला गया है।

कोई भी पात्र व्यक्ति इस पोर्टल के माध्यम से अपना नाम इस जुड़वा सकता है।

मंत्री गोदारा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत वन नेशन वन राशन कार्ड के माध्यम से पात्र लाभार्थी जुड़वा सकता है। देश में कहीं भी अपने हिस्से का राशन प्राप्त कर सकते हैं।

जनगणना प्रशिक्षण आज से

बीकानेर, (कासं)। जिले में जनगणना-2027 के प्रथम चरण के लिए जिला एवं चार्ज अधिकारियों का प्रशिक्षण 19 से 20 फरवरी दो दिन एवं नियमित सहायकों का प्रशिक्षण 19 से 21 फरवरी तक तीन दिन तक हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान में आयोजित किया जायेगा।

प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरूआत संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा एवं जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि द्वारा की जायेगी। सहायक निदेशक कल्पेश गुप्ता एवं सांख्यिकी अन्वेषक ग्रेड सेकण्ड अशोक जनगणना कार्य निदेशालय जयपुर के द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगी। जिसमें जिला जनगणना अधिकारी, उप जिला जनगणना अधिकारी, नगर निगम के जनगणना अधिकारी, जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहायक प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे।

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001
क्रमांक :- नियमन/2026/5149 सार्वजनिक आपत्ति सूचना दिनांक : 18.02.2026
सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्रों में कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरित योजना में नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर द्वारा चक 6 ई छोटी मुरब्बा नं. 44 के किला नं. 7, 8 में भूखण्ड संख्या डी-8 माप 45 इन्द्र 60 फीट आनन्द विहार कॉलोनी, श्रीगंगानगर का पटटा संख्या 2313 दिनांक 24.07.2003 को श्रीमती बीना अरोड़ा पत्नी श्री राजेश अरोड़ा के नाम से जारी है। श्रीमती बीना अरोड़ा पत्नी श्री राजेश अरोड़ा निवासी श्रीगंगानगर द्वारा उक्त भूखण्ड के अपने स्वामित्व के दस्तावेज एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर न्यास कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी पटटा एवं अन्य दस्तावेजों का समर्पण कर भूखण्ड का फ्री होल्ड पटटा पटटा जारी करने हेतु आवेदन किया है। अतः उक्त के सम्बन्ध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति मय सबूत छाया दिनांक से 7 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय के कमरा नं. 17 में प्रस्तुत करें, अन्यथा बाद मियाद गुजरने के उपरान्त आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं शपथ पत्र के आधार पर राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम 2012 के नियम 20, 25 एवं 27 की अनुपालना में कार्यवाही करते हुए फ्री होल्ड पटटा जारी कर दिया जावेगा। इस सम्बन्ध में न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। -सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
क्रमांक : नियमन/2026/ सार्वजनिक आपत्ति सूचना दिनांक : 18-2-2026
सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में रिहायशी भूखण्ड वाके चक 03 ई छोटी मुरब्बा नं. 19/20 के किला नं. 08 में भूखण्ड माप 20'-0''गुणा 70'-0''फीट के नियमन/पट्टा हेतु आवेदक श्री जगदीश सिंह पुत्र श्री बलवंत सिंह निवासी चक 3 ई छोटी, गली नं. 01, एसएसबी रोड, शिवनगर, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/रकबे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय में क्रमशः नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्री जगदीश सिंह पुत्र श्री बलवंत सिंह निवासी चक 3 ई छोटी, गली नं. 01, एसएसबी रोड, शिवनगर, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चक 03 ई छोटी मुरब्बा नं. 19/20 के किला नं. 08 में भूखण्ड माप 20'-0''गुणा 70'-0''फीट का नियमन/पटटा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन/ पट्टा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पट्टा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
RajKaj Ref No.: 20593183 -सचिव,नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर।

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
क्रमांक : नियमन/2026/5150 सार्वजनिक आपत्ति सूचना दिनांक : 18-2-2026
सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में रिहायशी भूखण्ड वाके चक 1 ए छोटी मुरब्बा नं. 72 के किला नं. 4 में भूखण्ड संख्या का माप 19'-6''गुणा 67'-6''फीट के नियमन/पट्टा हेतु आवेदक श्री अंकित पुत्र श्री कमलेश कुमार निवासी मकान नं. 76, गली नं. 02, वार्ड नं. 24, नई आबादी, हनुमानगढ़ द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/रकबे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्री अंकित पुत्र श्री कमलेश कुमार निवासी मकान नं. 76, गली नं. 02, वार्ड नं. 24, नई आबादी, हनुमानगढ़ द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चक 1 ए छोटी मुरब्बा नं. 72 के किला नं. 4 में भूखण्ड संख्या का माप 19'-6''गुणा 67'-6''फीट का नियमन/पटटा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन/ पट्टा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पट्टा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। -सचिव,नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर।

होलाष्टक 24 फरवरी से, शुभ कार्यों पर ब्रेक

बीकानेर, (कासं)। होलाष्टक फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ होगा और पूर्णिमा तक रहेगा। यानी 24 फरवरी से शुरू होकर 3 मार्च होलिका दहन के साथ इसका समापन हो जायेगा। शास्त्रों के अनुसार इन 8 दिनों में नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए हवन-पूजन करें।

जरूरतमंदों को क्र, वस्त्र, धन का दान करें। इस अवधि में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण, वाहन व मकान की खरीद-बिक्री, नया व्यवसाय या निर्माण कार्य जैसे सभी मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। होलाष्टक में शुभकार्य टालना ही श्रेयस्कर है। इसका धार्मिक, आध्यत्मिक और वैज्ञानिक महत्व भी है। इन दिनों ग्रह भी उग्र रूप में रहते हैं। होलाष्टक 24 फरवरी को सुबह 07.03 बजे शुरू होगा। आठ दिनों में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरू, शुक्र, शनि, राहु सहित आठों ग्रह उग्र स्वभाव में रहते हैं। होलाष्टक में भगवान विष्णु, शिवजी, हनुमानजी और भक्त प्रहलाद की पूजा करना चाहिए। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ रहता है।

ज्योतिर्विद ने बताया कि भगवान शिव, विष्णु व हनुमान आराधना, महामृत्युंजय मंत्र जाप, भजन-कीर्तन व सेवा कार्य विशेष फलदायी माने जाते हैं। तांत्रिक दृष्टि से यह साधना व सिद्धि का काल है। दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को इन्हीं 8 दिन में कठोर यातनाएं दी थी। अंत में बहन होलिका की गोद में बैठाकर अग्नि में जलाने का प्रयास किया गया, लेकिन ईश कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहे और होलिका दहन हो गई।

छह कॉलोनियों के 69.7 किमी. में बिछेगी गैस पाइप लाइन

बीकानेर, (कासं)। शहरवासियों को जल्दी ही पाइप लाइन से रसोई गैस सुविधा मिलने की उम्मीद और मजबूत हो गई है। पहले चरण में समता नगर, गांधीनगर और करणी नगर के 20 किमी में गैस पाइपलाइन बिछाई गई है।

इन कॉलोनियों के 139 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराये थे। अब संबंधित कंपनी ने नगर निगम को पत्र लिखकर 6 नए इलाकों में 69.7 किमी अंडर ग्राउंड पाइप लाइन बिछाने के लिए पत्र लिखा है। इसीलिए इस साल के अंत तक इन घरों में पाइप लाइन के जरिए पीएनजी पहुंचने की उम्मीद है। गैसोनॉट कंपनी ने पहले चरण में करीब 200 किमी पाइप लाइन बिछाने का टारगेट रखा है।

रीको के करणी नगर औद्योगिक क्षेत्र में गैसोनॉट कंपनी का स्टेशन तैयार

- **इस साल के अंत तक इन घरों में पाइप लाइन के जरिए पीएनजी पहुंचने की उम्मीद**

हो गया है। बीछवाल से सटे समता नगर, करणी नगर और गांधी नगर में गैस पाइप लाइन बिछाने का काम चल रहा है। अब तक करीब 20 किलोमीटर लम्बी पाइप लाइन बिछाई जा चुकी है और अब हनुमानहत्था, रथखाना, कुचीलपुरा, मेजर पूर्णसिंह, मेहरों का बास, ट्रांसपोर्ट नगर समेत कुछ इलाके चुने हैं। जहां करीब 70 किमी लाइन बिछाई जायेगी। गैसोनेट कंपनी ने 16 फरवरी को ही निगम सचिव के नाम एक पत्र लिखकर बताया कि वो कहां-कहां कितने-कितने किमी. लाइन बिछाने जा रहा है और उसके लिए निगम उसकी अनुमति दे।

लाइन बिछाने के बाद ही कंपनी के कर्मचारी गैस की सप्लाई लेने के लिए रजिस्ट्रेशन भी करेंगे। अब तक करीब डेढ़ सौ घरों के रजिस्ट्रेशन होने के साथ ही कनेक्शन देने का काम भी चल रहा है। इन घरों में दिसम्बर के अंत तक गैस पहुंचाने का काम शुरू हो जायेगा। पीएनजी वर्तमान एलपीजी गैस से करीब 200 रूपए तक सस्ती होगी। हर घर के बाहर वॉल्व के पास मीटर लगा होगा, जिसमें रोजाना कंज्यूम होने वाली गैस की रीडिंग आ जाएगी। उपभोक्ताओं को घर बैठे ऑनलाइन पेमेंट कर गैस रिचार्ज करने की सुविधा मिलेगी।

लूणकरनसर में बनेगा मिनी सचिवालय

बीकानेर, (कासं)। उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने बुधवार देर शाम विधानसभा में कई घोषणाएं की। इनमें लूणकरनसर विधानसभा क्षेत्र को भी कई सौगातें मिली हैं।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि उप मुख्यमंत्री द्वारा लूणकरनसर विधानसभा के सुई, दुलचासर एवं बखुसर गांवों में नहरी पेयजल योजना के कार्यों की घोषणा की गई है। इस पर 12 करोड़ रूपए व्यय होंगे। उन्होंने बताया कि इस कार्य से इन गांवों में नहरी पानी मिल सकेगा, जो कि किसानों और ग्रामीणों के लिए लाभदायक साबित होगा।

उन्होंने लूणकरनसर में जिले का पहला मिनी सचिवालय बनाने की घोषणा करने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया। गोदारा ने कहा कि मिनी सचिवालय बनने से क्षेत्र की सभी प्रशासनिक इकाईयां एक छत के नीचे कार्य करेंगी, जिससे आमजन के कार्य अधिक आसानी से होंगे तथा उनके समय, ऊर्जा एवं धन की बचत होगी। गोदारा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने गत दो वर्षों की तरह इस बार क्षेत्र के लिए अनेक घोषणाएं की हैं। जिससे क्षेत्र को नई पहचान मिलेगी।

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
क्रमांक : नियमन/2026/ सार्वजनिक आपत्ति सूचना दिनांक : 17-2-2026
सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में रिहायशी भूखण्ड वाके चक 3 ई छोटी मुरब्बा नं. 49 के किला नं. 11,20 में भूखण्ड संख्या का माप 20'-0''गुणा 60'-0''फीट के नियमन/पट्टा हेतु आवेदक श्री शिवप्रसाद पुत्र श्रीचुन्नीलाल निवासी श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/रकबे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्री शिवप्रसाद पुत्र श्रीचुन्नीलाल निवासी श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चक 3 ई छोटी मुरब्बा नं. 49 के किला नं. 11,20 में भूखण्ड संख्या का माप 20'-0''गुणा 60'-0''फीट का नियमन/पटट्टा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन/ पट्टा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पट्टा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
RajKaj Ref No.: 20540754 -सचिव,नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर।

सदियों से मोटा अनाज हमारे खान-पान का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है : मेघवाल

बीकानेर, (कासं)। केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि सदियों से मोटा अनाज हमारे खान-पान का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। देखा-देखी सहित कई अन्य कारणों से हम इससे दूर होते गए जिससे हमारा शरीर कई बीमारियों से ग्रसित हो गया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मोटे अनाज (मिलेट्स) को श्रीअन्न की संज्ञा देते हुए इसके महत्व को घर-घर तक पहुंचाया है। हमें एक बार फिर इसकी महत्ता समझनी होगी और थाली में मोटे अनाज को स्थान देना होगा। उन्होंने कहा कि यह 'आहार से उपचार' की अवधारणा को साकार करने में सहायक है।

मेघवाल ने बुधवार को सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज परिसर में आयोजित 'ईट राइट मिलेट्स' मेला के उद्घाटन समारोह के दौरान यह बात कही। खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय व

केन्द्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने 'ईट राइट मिलेट्स' मेले का उद्घाटन कर लगाये गए स्टालों का अवलोकन किया।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मेघवाल ने कहा कि बाजरा, मक्का, ज्वार, रागी आदि मोटे अनाज विटामिन और फाइबर से भरपूर हैं। यह हमारे शरीर की पोषण संबंधी सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। उन्होंने कहा कि आज के देश में भरपूर मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध है, लेकिन आज सही खान-पान की जरूरत है। ऐसे कार्यक्रमों की बदौलत आमजन में जागरूकता आयेगी। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमारे पूर्वजों की विरासत को समझ